

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ 7985
निमित्त:-

दिनांक 18/8/2020

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:- Diversion of 5.232 ha forest land in favour of Water Resources Department for right main canal and minor of Ahamdi minor Irrigation Project.
Proposal Name FP/RJ/Irrige/2375/2016

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्रांक 759 दिनांक 23.07.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) कार्यालय द्वारा जारी Online EDS के पत्रांक 759 दिनांक 23.07.2020 की पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है

SN	EDS Date 23-07-2020	Reply of EDS
1.	Land Proposed for Diversion CA as well as area proposed for diversion shows encroachments. It needs clarification.	Encroachment was shows in khasara no 62 in 1 bigha 6 biswa land. so the revised allotment has been done by Collector vide letter date 28.08.2019 for 1 bigha 6 biswa land khasara no 61. Land suitability certificate is enclosed.
2.	Noc of concerned deparments needs to be provide.	Enclosed.
3.	Component wise break up of land requirement needs to be provided.	Correct Component wise break up is enclosed.
4.	Muk Disposal scheme approved by DFO Needs to be provided.	Proposed Construction of canal is in embankment. so no cutting is required in canal there fore Muk disposal plan is not needed.
5.	Where the project/dam consteuction involves impounding of water /submergence of forest land ? If yes than CAT plan needs to be submitted.	NO, This is a Canal Project.
6.	KML File of CA land needs to be resubmittited as there is polygon digitization error.	Correct KML File of CA land resubmittited in polygon format.

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है

भवदीय

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/

दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।

2. अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

UNDERTAKING FOR WASTE MANAGEMENT DURING
CONSTRUCTION ACTIVITY

Full Title of the Project : AHAMDI MINOR IRRIGATION PROJECT


File No. : FP/RJ/IRRIGATION/23175/2016


Date of Proposal : 19.07.2017

Executive Engineer, WR. Div.-III Baran (Raj.), the user agency, hereby undertakes that Proposed construction of canal is not required in embankment. So no cutting required in canal therefore the muk disposal plan. And we will use the material outside the forest land.

Place: Baran

Date:

Name: 
Manoj Kumar Goyal
अधिकाधी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड III बारी

C.S

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारी

Office Seal & Signature:
Designation: Executive Engineer
Water Resource
Div.III Baran (Raj)
Mob No. :- 9460745028

कमाक :एफ-4(5)(26)राजस्व/18/

--:आदेश:-

अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में आने वाली ग्राम-अहमदा, अहमदी व बजरंगढ, तहसील किशनगंज की 5.23 हे० वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित किये जाने हेतु मांग करने पर तहसीलदार, छीपाबडोद द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 17.07.2017 अनुसार सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को वानिकी भूमि की एवज में सेट-अपार्ट की जाती है तथा उक्त प्रकरण में पूर्व के इस कार्यालय के आदेश कमांक-एफ-4(5)(26)राजस्व/18/3291-99 दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	कुल रकबा (बीघा बिस्वा में)	सेट-अपार्ट रकबा (बीघा बिस्वा में)	किस्म
1	छीपाबडोद	पीपल्या चौकी	56	7.00 बीघा 13 बिस्वा	7.00 बीघा 13 बिस्वा	मगरी
			61	1.00 बीघा 06 बिस्वा	1.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			62	13.00 बीघा 7 बिस्वा	12.00 बीघा 01 बिस्वा	मगरी
			120	06 बिस्वा	06 बिस्वा	मगरी
			121	11.00 बीघा 06 बिस्वा	11.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			कुल कित्ता 5	कुल 33.00 बीघा 18 बिस्वा	कुल 32.00 बीघा 12 बिस्वा	

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Sd
(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर
बारां
दिनांक 28/8/2019

कमाक :एफ-4(5)(26)राजस्व/18/ 4972-80
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलेक्टर, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां
5. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद, किशनगंज।
6. तहसीलदार, छीपाबडोद, को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का अमल-दरामद करें एवं संबंधित विभाग को दखल दिया जाकर दखलनामे की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवावे।
7. तहसीलदार, किशनगंज को नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

Sd
जिला कलक्टर
बारां

एम. के गोयल
अधीशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड
बारां (राज.)

पता : मिनी सचिवालय, बारां (325205)

Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक

बारां

E-mail ID : dm-brn-rj@nic.in

admbaran@gmail.com

E:\Daulat nagar\allotment\5- Rule-1963 other Allotment.docx-

2739 -

यदि कोई विभाग/प्रशासनिक संस्था/कॉलेज, मालाओं इत्यादि के लिए राजस्वमान भू-राजस्व संस्थाओं/संस्थानों/संस्थानों/विश्वविद्यालय/धर्मशास्त्रादी/राज्य शासकनिष्ठ संस्थानों के अन्य भू-निर्माणार्थक/विश्वविद्यालय/संस्थानों/भूमि का आवंटन नियम 1983

17/10/17

1. प्रस्तावित विभाग का नाम
2. आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें) *इसका प्रयोजन के इलाके में प्रशासनिक*
3. क्या इस प्रयोजन विभाग के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है *उक्ति के अंतर्गत प्रयोजन के लिए*
यदि हाँ तो उसका विवरण
4. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है?
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है? *आर 2 पर फल प्राप्त है*
6. विनियम 1983 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड? *X*
7. यदि विभाग को द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं तो उसका विवरण।
8. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अबका कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य।
9. आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण-
 - (1) तहसील का नाम *दीपावडी*
 - (2) ग्राम का नाम *दीपावडी*
 - (3) खसरा नम्बर *56/713*
 - (4) भूमि की क्वचम *अज्ञेय*
 - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल *कुल खसरा 32 बीघा 12 कि. मी*
 - (6) प्रस्तावित क्षेत्रफल *32 बीघा 12 कि. मी*
 - (7) जमाबन्दी/खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है हाँ/नहीं
 - (8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी की भोका रिपोर्ट संलग्न करें)
 - (9) यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो- *नहीं*
 - (10) पशु संख्या *12*
 - (11) प्रस्तावित आवंटन को पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि *है*
 - (12) पशुओं के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है *है*
 - (13) यदि नहीं तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था
 - (14) भूमि नगर पालिका में स्थित है/ग्राम पंचायत में (नाम लिखें) *ग्राम पंचायत में है (अभिलेखित/अज्ञेय)*
 - (15) स्थानिय पिकाय का निशपति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें
 - (16) सगरीब क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की प्रति संलग्न करें।
 - (17) क्या नगर का मस्टर प्लान बन चुका है? *नहीं*
 - (18) क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक विनियम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?
 - (19) यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा?
 - (20) यदि निर्माण में पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें।
 - (21) पूर्व में स्तम्भित नहीं प्राप्त करने का कारण
 - (22) जिला कलेक्टर द्वारा की राय

56/713 *61/713* *120/713* *131/713* *62/713*

निर्माण भूमि की जांच के लिए
सहायक (विभागीय)

तहसीलदार (10/30)
सहायक (विभागीय)

उपस्थान्त मजिस्ट्रेट
दीपावडी जिला-बारा

एम. के. गोयल
अधिसाधी अभियन्ता
जल संचयन खाण्ड बुनोय
बारा (राज.)

C.S.
(राजीव कपूर)
अप वन संरक्षक
बारा

